



①

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

11/भारती/रीवा/शुल्क/२०१७/३२०५
/2017 पुनरीक्षण

दिनांक ८-९-१७ को
श्री जे.एस.गौड़
व्या. शुल्क/

८-९-१७

राममिलन पुत्र श्री रामनिहोर पटेल
निवासी- ग्राम दामोदर गढ़, तहसील
हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०

--आवेदक

बनाम

1. रामपाल
2. धरमराज
3. छठिलाल पुत्रगण श्री रामनिहोर पटेल
4. रामनिहोर पुत्र श्री रामसेवक पटेल
समस्त निवासीगण- ग्राम दामोदर गढ़,
तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०

--अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 18/08/2017 पारित द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा म०प्र० के
प्रकरण क्रमांक 80ए-27/2015-16 अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन-पत्र निम्न प्रकार
प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1160/2 रकबा 5.00
हेक्टर स्थित ग्राम दामोदरगढ़. तहसील हनुमना जिला रीवा

जे.एस.गौड़
एडवोकेट
नया बाजार ग्वालियर

8-9-17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(16)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

१/निगरानी/१२२१/१७/३२०५

२१/०४/१९/२०१९

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

०३/०१/१९

आवेदक की ओर से श्री ए. ए. ए. शाह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - इ. गुरु के प्रकरण क्रमांक ४०/१९-२७/१९-१६ में पारित आदेश दिनांक १८-८-१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - र. व. १ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक १०/०५/१९ को कलेक्टर जिला - र. व. १ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

